सूक्ष्म उद्यमिता को प्रोत्साहन

-भुवन भास्कर

सूक्ष्म उद्यमिता को प्रोत्साहित करने से ग्रामीण भारत की अधिकांश समस्याओं का समाधान हो सकता है। बेरोज़गार ग्रामीण युवाओं को रोज़गार प्रदान करना, ग्रामीण घरेलू आय में वृद्धि, ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों में प्रवास की दर को कम करना आदि कुछ प्रत्यक्ष लाभ हैं जिन्हें देश सूक्ष्म उद्यमिता को प्रोत्साहित करके प्राप्त कर सकता है।

भारत लगभग 1.5 अरब लोगों का देश है, जहां परंपरागत रूप से 60% से अधिक आबादी कृषि पर निर्भर रही है। लेकिन यह एक सुस्थापित तथ्य है कि आजीविका की दृष्टि से कृषि पर अत्यधिक निर्भरता समाधान की बजाय समस्याएं अधिक पैदा कर रही है। अधिकांश लोग कम हो रहे खेती योग्य क्षेत्रों पर निर्भर हैं जिससे जोत छोटी हो गई हैं। इस स्थिति ने कई बाधाओं को जन्म दिया है जो भारतीय कृषि के लिए समस्याएं उत्पन्न कर रही है। उदाहरण के लिए, खेतों में मशीनों और प्रौद्योगिकी के उपयोग की सीमित संभावनाएं, कम उपज के कारण मोल भाव न कर पाना, उत्पादन लागत में वृद्धि आदि। दशकों के अनुभव से नीति निर्माताओं के लिए यह लगभग स्पष्ट है कि युवा पीढ़ी द्वारा वैकल्पिक आजीविका स्त्रोतों पर ध्यान दिए बिना ग्रामीण प्रति व्यक्ति आय को एक सीमा से अधिक नहीं बढ़ाया जा सकता है। यह सब औद्योगीकरण और शहरीकरण की अवधारणाओं से शुरू हुआ। प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू बड़े उद्योगों के माध्यम से विकास की पश्चिमी अवधारणा से बहुत अधिक प्रभावित थे। लेकिन इसके परिणामस्वरूप झुग्गी-बस्तियों में वृद्धि हुई, औद्योगिक श्रमिकों के रूप में नए वर्गों का उदय हुआ और गाँवों से बड़े पैमाने पर पलायन के कारण भारत में परिवार व्यवस्था टूट गई।

अब जब हम अमृतकाल में प्रवेश कर रहे हैं, तो हमारे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने का विज़न हमारे सामने रखा है। यह अकारण नहीं है कि भारत सरकार ने मिशन मोड में ग्रामीण भारत में सूक्ष्म उद्यमिता को बढ़ावा देना शुरू कर दिया है।

लेखक एनसीडीईएक्स में वाइस प्रेसिडेंट हैं और आर्थिक तथा कृषि क्षेत्र से जुड़े समकालीन मुद्दों पर लिखते हैं।
ई-मेल : bhaskarbhuwan@gmail.com

सूक्ष्म उद्यमिता को प्रोत्साहित करने से ग्रामीण भारत की अधिकांश समस्याओं का समाधान हो सकता है। बेरोज़गार ग्रामीण युवाओं को रोज़गार प्रदान करना, ग्रामीण घरेलू आय में वृद्धि, ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों में प्रवास की दर को कम करना आदि कुछ प्रत्यक्ष लाभ हैं जिन्हें देश सूक्ष्म उद्यमिता को प्रोत्साहित करके प्राप्त कर सकता है। परोक्ष रूप से, यह लगभग सभी मोर्चों पर समग्र कृषि परिदृश्य को लाभान्वित करने वाला है, जैसे कि बुआई, कटाई, गुणवत्ता सुधार, विपणन में प्रौद्योगिकी का उपयोग आदि।

इसका सीधा-सा कारण यह है कि कृषक परिवार में अतिरिक्त आय हो तो उसे खेती में ही लगा दिया जाता है। ग्रामीण हिस्सों के अलावा, शहरी भारत में भी रिवर्स माइग्रेशन देखा जाएगा और इससे निश्चित रूप से शहरी पर्यावरण में सुधार होगा, वायु और जल प्रदूषण में कमी आएगी तथा शहरी बुनियादी ढांचे पर दबाव कम होगा।

आइए, विस्तार से देखते हैं कि ग्रामीण युवाओं और अर्थव्यवस्था को मज़बूत करने के लिए सूक्ष्म उद्यमिता को प्रोत्साहित करना 'गेम चेंजर' क्यों हो सकता है:

सूक्ष्म उद्यमिता का दायरा: परिभाषा के अनुसार, सूक्ष्म उद्यम वे हैं जिनमें संयंत्र और मशीनरी या उपकरण में 1 करोड़ रुपये से अधिक का निवेश शामिल नहीं है और वार्षिक कारोबार 5 करोड़ रु. से अधिक नहीं है। सूक्ष्म उद्यम छोटी कंपनी होती है जो उत्पादों और/या सेवाओं को बेचकर समुदाय या स्थानीय बाज़ार की आवश्यकताओं को पूरा करती हैं। सामान्यतः इसमें 10 से कम कर्मचारी होते हैं और यह सीमित क्षेत्र में काम करती है। सूक्ष्म व्यवसाय आमतौर पर माइक्रोक्रेडिट अथवा माइक्रोफाइनेंस के ज़रिए धन हासिल कर शुरू किया जाता है।

सूक्ष्म व्यवसाय सामान्यतः उभरते देशों और अर्थव्यवस्थाओं से जुड़े होते हैं और कार्यालयी क्षेत्र में नौकरियों की कमी के कारण उत्पन्न शून्य को भरने का प्रयास करते हैं। रोज़गार सृजन के अलावा, वे उत्पादन लागत में कटौती करते हैं, क्रयशक्ति बढ़ाते हैं और सुविधा प्रदान करते हैं; अतः इन सभी से अर्थव्यवस्था को लाभ मिलता है। सच तो यह है कि सरकार सूक्ष्म व्यवसायों विशेषकर कम आय वाले क्षेत्रों में सहयोग करती है। इससे आर्थिक और व्यापारिक विस्तार को बढ़ावा मिलता है। साथ ही, ये व्यवसाय सतत विकास की उम्मीद देते हैं। विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में, वे एक महत्वपूर्ण आवश्यकता को पूरा करने में सहायता करते हैं।

लचीलापन: सूक्ष्म व्यवसाय के मालिक बदलती परिस्थितियों के साथ जल्दी से तालमेल बिठाने और काम करने का अपना समय तय करने में सक्षम होते हैं। जिन लोगों को पारिवारिक दायित्व या अंशकालिक नौकरियों जैसी ज़िम्मेदारी निभानी होती हैं, उनके लिए यह लचीलापन बेहद उपयोगी हो सकता है। सूक्ष्म उद्यमी खुद को बाज़ार की बदलती परिस्थितियों के हिसाब से ढाल पाते हैं। वे बड़े संगठनों में अपनायी जा रही आम नौकरशाही प्रक्रियाओं के बिना निर्णय ले सकते हैं और परिवर्तन लागू कर सकते हैं।

उद्यम शुरू करने में बाधाएं कम : चूंकि सूक्ष्म व्यवसाय शुरू करने के लिए अक्सर कम मात्रा में संसाधनों और पूंजी की आवश्यकता होती है इसलिए अधिक से अधिक लोग उद्यमिता अपना सकते हैं। उद्यम शुरू करने में कम बाधा के कारण लोग बड़ा वित्तीय जोखिम उठाए बिना अपने व्यावसायिक लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। सूक्ष्म उद्यमियों को अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए अक्सर न्यूनतम प्रारंभिक पूंजी की आवश्यकता होती है। उद्यम शुरू करने के लिए बाधाएं कम होने से कम वित्तीय संसाधनों वाले व्यक्तियों को अपनी उद्यमशील आकांक्षाओं को आगे बढ़ाने का अवसर मिलता है।

रोज़गार सृजन : सूक्ष्म व्यवसाय के मालिक जब कर्मचारी रखते है या ठेके पर काम कराते हैं तो वे रोज़गार सृजन करने में मदद करते हैं। इससे स्थानीय आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलता है और बेरोज़गारी को कम करने में सहायता मिलती है। सूक्ष्म उद्यम सामूहिक रूप से रोज़गार सृजन में योगदान करते हैं जो अधिक बेरोज़गारी दर वाले क्षेत्रों में बहुत कारगर हो सकता है। वे ज़मीनी स्तर पर आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करने में मदद कर सकते हैं।

नवोन्मेष: नई वस्तुएं, सेवाएं और अवधारणाएं अक्सर छोटी कंपनियों द्वारा बाज़ार में प्रस्तुत की जाती हैं। सूक्ष्म व्यवसाय के मालिक अधिक फुर्तीले होते हैं और नए विचारों को अधिक तेज़ी से आजमा सकते हैं, जो उनके विशेषीकृत बाज़ार में नवाचार को प्रोत्साहित करता है। सूक्ष्म उद्यमी अक्सर बड़ी कंपनियों की तुलना में अधिक चुस्त और नवोन्वेषी होते हैं। वे जल्दी से नए विचारों के साथ प्रयोग कर सकते हैं और बदलती बाज़ार मांगों के अनुरूप खुद को ढाल सकते हैं।

स्थानीय आर्थिक विकास: सूक्ष्म व्यवसाय अक्सर आपूर्ति, सेवाओं और श्रम के लिए क्षेत्र के विक्रेताओं का उपयोग करके और नागरिकों को कर्मचारियों के रूप में नियोजित करके समुदाय की अर्थव्यवस्था में मदद करते हैं। इसके अतिरिक्त, वे कर राजस्व उत्पन्न करते हैं जिसका उपयोग क्षेत्र को बेहतर बनाने के लिए किया जा सकता है। सूक्ष्म उद्यम अक्सर स्थानीय समुदायों को सेवा प्रदान करते हैं, रोज़गार सृजन करते हैं और वस्तु एवं सेवाएं प्रदान करके स्थानीय अर्थव्यवस्था में योगदान करते हैं। वे अपने आसपड़ोस को पुनर्जीवित करने और सामुदायिक विकास में योगदान देने में भी मदद कर सकते हैं।

सूक्ष्म उद्यमिता को प्रोत्साहित करने से ग्रामीण भारत की अधिकांश समस्याओं का समाधान हो सकता है। बेरोज़गार ग्रामीण युवाओं को रोज़गार प्रदान करना, ग्रामीण घरेलू आय में वृद्धि, ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों में प्रवास की दर को कम करना आदि कुछ प्रत्यक्ष लाभ हैं जिन्हें देश सूक्ष्म उद्यमिता को प्रोत्साहित करके प्राप्त कर सकता है। परोक्ष रूप से, यह लगभग सभी मोर्चों पर समग्र कृषि परिदृश्य को लाभान्वित करने वाला है, जैसे कि बुआई, कटाई, गुणवत्ता सुधार, विपणन में प्रौद्योगिकी का उपयोग आदि।

इसका सीधा-सा कारण यह है कि कृषक परिवार में अतिरिक्त आय हो तो उसे खेती में ही लगा दिया जाता है। ग्रामीण हिस्सों के अलावा, शहरी भारत में भी रिवर्स माइग्रेशन देखा जाएगा और इससे निश्चित रूप से शहरी पर्यावरण में सुधार होगा, वायु और जल प्रदूषण में कमी आएगी तथा शहरी बुनियादी ढांचे पर दबाव कम होगा।

आइए, विस्तार से देखते हैं कि ग्रामीण युवाओं और अर्थव्यवस्था को मज़बूत करने के लिए सूक्ष्म उद्यमिता को प्रोत्साहित करना 'गेम चेंजर' क्यों हो सकता है:

सूक्ष्म उद्यमिता का दायरा: परिभाषा के अनुसार, सूक्ष्म उद्यम वे हैं जिनमें संयंत्र और मशीनरी या उपकरण में 1 करोड़ रुपये से अधिक का निवेश शामिल नहीं है और वार्षिक कारोबार 5 करोड़ रु. से अधिक नहीं है। सूक्ष्म उद्यम छोटी कंपनी होती है जो उत्पादों और/या सेवाओं को बेचकर समुदाय या स्थानीय बाज़ार की आवश्यकताओं को पूरा करती हैं। सामान्यतः इसमें 10 से कम कर्मचारी होते हैं और यह सीमित क्षेत्र में काम करती है। सूक्ष्म व्यवसाय आमतौर पर माइक्रोक्रेडिट अथवा माइक्रोफाइनेंस के ज़रिए धन हासिल कर शुरू किया जाता है।

सूक्ष्म व्यवसाय सामान्यतः उभरते देशों और अर्थव्यवस्थाओं से जुड़े होते हैं और कार्यालयी क्षेत्र में नौकरियों की कमी के कारण उत्पन्न शून्य को भरने का प्रयास करते हैं। रोज़गार सृजन के अलावा, वे उत्पादन लागत में कटौती करते हैं, क्रयशक्ति बढ़ाते हैं और सुविधा प्रदान करते हैं; अतः इन सभी से अर्थव्यवस्था को लाभ मिलता है। सच तो यह है कि सरकार सूक्ष्म व्यवसायों विशेषकर कम आय वाले क्षेत्रों में सहयोग करती है। इससे आर्थिक और व्यापारिक विस्तार को बढ़ावा मिलता है। साथ ही, ये व्यवसाय सतत विकास की उम्मीद देते हैं। विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में, वे एक महत्वपूर्ण आवश्यकता को पूरा करने में सहायता करते हैं।

लचीलापन: सूक्ष्म व्यवसाय के मालिक बदलती परिस्थितियों के साथ जल्दी से तालमेल बिठाने और काम करने का अपना समय तय करने में सक्षम होते हैं। जिन लोगों को पारिवारिक दायित्व या अंशकालिक नौकरियों जैसी ज़िम्मेदारी निभानी होती हैं, उनके लिए यह लचीलापन बेहद उपयोगी हो सकता है। सूक्ष्म उद्यमी खुद को बाज़ार की बदलती परिस्थितियों के हिसाब से ढाल पाते हैं। वे बड़े संगठनों में अपनायी जा रही आम नौकरशाही प्रक्रियाओं के बिना निर्णय ले सकते हैं और परिवर्तन लागू कर सकते हैं।

उद्यम शुरू करने में बाधाएं कम : चूंकि सूक्ष्म व्यवसाय शुरू करने के लिए अक्सर कम मात्रा में संसाधनों और पूंजी की आवश्यकता होती है इसलिए अधिक से अधिक लोग उद्यमिता अपना सकते हैं। उद्यम शुरू करने में कम बाधा के कारण लोग बड़ा वित्तीय जोखिम उठाए बिना अपने व्यावसायिक लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। सूक्ष्म उद्यमियों को अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए अक्सर न्यूनतम प्रारंभिक पूंजी की आवश्यकता होती है। उद्यम शुरू करने के लिए बाधाएं कम होने से कम वित्तीय संसाधनों वाले व्यक्तियों को अपनी उद्यमशील आकांक्षाओं को आगे बढ़ाने का अवसर मिलता है।

रोज़गार सृजन : सूक्ष्म व्यवसाय के.मालिक जब कर्मचारी रखते है या ठेके पर काम कराते हैं तो वे रोज़गार सृजन करने में मदद करते हैं। इससे स्थानीय आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलता है और बेरोज़गारी को कम करने में सहायता मिलती है। सूक्ष्म उद्यम सामूहिक रूप से रोज़गार सृजन में योगदान करते हैं जो अधिक बेरोज़गारी दर वाले क्षेत्रों में बहुत कारगर हो सकता है। वे ज़मीनी स्तर पर आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करने में मदद कर सकते हैं।

नवोन्मेष: नई वस्तुएं, सेवाएं और अवधारणाएं अक्सर छोटी कंपनियों द्वारा बाज़ार में प्रस्तुत की जाती हैं। सूक्ष्म व्यवसाय के मालिक अधिक फुर्तीले होते हैं और नए विचारों को अधिक तेज़ी से आजमा सकते हैं, जो उनके विशेषीकृत बाज़ार में नवाचार को प्रोत्साहित करता है। सूक्ष्म उद्यमी अक्सर बड़ी कंपनियों की तुलना में अधिक चुस्त और नवोन्वेषी होते हैं। वे जल्दी से नए विचारों के साथ प्रयोग कर सकते हैं और बदलती बाज़ार मांगों के अनुरूप खुद को ढाल सकते हैं।

स्थानीय आर्थिक विकास: सूक्ष्म व्यवसाय अक्सर आपूर्ति, सेवाओं और श्रम के लिए क्षेत्र के विक्रेताओं का उपयोग करके और नागरिकों को कर्मचारियों के रूप में नियोजित करके समुदाय की अर्थव्यवस्था में मदद करते हैं। इसके अतिरिक्त, वे कर राजस्व उत्पन्न करते हैं जिसका उपयोग क्षेत्र को बेहतर बनाने के लिए किया जा सकता है। सूक्ष्म उद्यम अक्सर स्थानीय समुदायों को सेवा प्रदान करते हैं, रोज़गार सृजन करते हैं और वस्तु एवं सेवाएं प्रदान करके स्थानीय अर्थव्यवस्था में योगदान करते हैं। वे अपने आसपड़ोस को पुनर्जीवित करने और सामुदायिक विकास में योगदान देने में भी मदद कर सकते हैं।

आत्मनिर्भरता: सूक्ष्म कारोबार के मालिकों का अपनी कंपनियों और उनकी वित्तीय नियति पर अधिक प्रभाव होता है। वे बड़े व्यवसायों अथवा पारंपरिक रोज़गार ढांचे पर कम निर्भर होते हैं, जिससे सशक्तीकरण और स्वतंत्रता की भावना को बढ़ावा दे सकते हैं।

विविधता : सूक्ष्म फर्में अक्सर विशिष्ट बाज़ारों को लक्षित करती हैं और ऐसे विशेष सामान या सेवाएं प्रदान करती हैं जो बड़ी कंपनियां नहीं दे सकती। इस विविध सूक्ष्म उद्यमिता के परिणामस्वरूप ग्राहकों के पास आए अधिक विकल्पों और प्रतिस्पर्धात्मकता से तरह-तरह के उद्योग और कारोबारी मॉडल भी तैयार हुए हैं। व्यक्ति अपने कौशल और रुचियों से मेल खाने वाले अवसरों की तलाश में विभिन्न क्षेत्रों और बाज़ारों का पता लगा सकते हैं।

सूक्ष्म व्यवसायों के विविध पारिस्थितिकी तंत्र के माध्यम से आर्थिक मज़बूती भी बढ़ाई जा सकती है। जब बड़े उद्योगों में मंदी आती है तो छोटी कंपनियां अधिक तेज़ी से खुद को संभाल सकती हैं और अर्थव्यवस्था को स्थिर बनाने में योगदान कर सकती हैं। सूक्ष्म उद्यम अपने छोटे आकार और अनुकूलन क्षमता के कारण आर्थिक मंदी के दौरान अधिक मज़बूत हो सकते हैं। वे ग्राहकों की बदलती ज़रूरतों को पूरा करने के लिए अपने उत्पाद और सेवाएं दे सकते हैं।

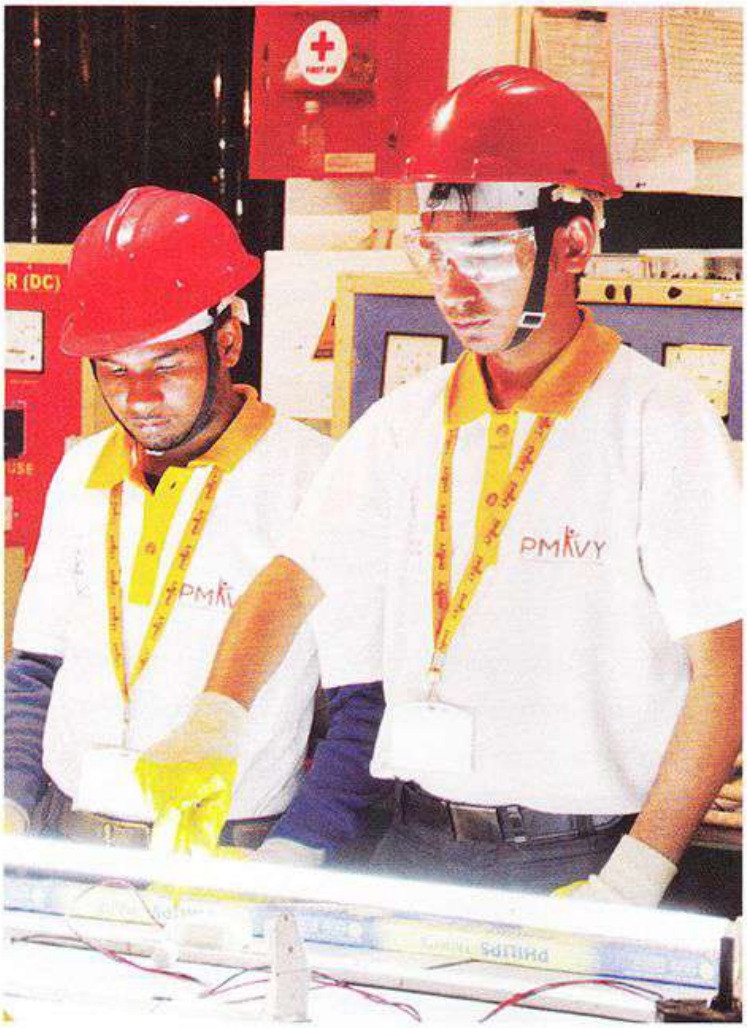

कुछ सूक्ष्म व्यवसायों में समय के साथ विकास और विस्तार करने की क्षमता होती है, मगर अधिकांश की शुरुआत मामूली होती है। सफल सूक्ष्म कारोबार के मालिक अपनी गतिविधियों का विस्तार कर सकते हैं और बड़ी कंपनियां शुरू कर सकते हैं। यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि जहां सूक्ष्म उद्यमिता के कई फायदे हैं, वहीं इसमें वित्तीय अस्पष्टता, सीमित संसाधन की कमियां है और मज़बूत आत्म-अनुशासन की आवश्यकता है। हालाँकि, उद्यमशीलता की भावना और प्रयास करने की इच्छा रखने वाले लोगों के लिए सूक्ष्म उद्यमिता लाभप्रद और उपयोगी कॅरियर हो सकता है।

आज, भारत दुनिया भर में तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप तंत्र रखने पर गर्व करता है। देश में 60,000 से अधिक कंपनियां कार्यरत हैं और 100 से अधिक यूनिकॉर्न हैं। इस उपलब्धि का श्रेय भारत सरकार द्वारा स्टार्टअप्स और उद्यमियों के लिए अपने कई कार्यक्रमों और योजनाओं के माध्यम से दिए गए सक्रिय समर्थन को दिया जा सकता है।

उपरोक्त सभी पहलों को कई सरकारी पहलों और संसाधनों द्वारा सहयोग प्राप्त था जिसका उद्देश्य व्यवसायों को वित्तीय सहायता और कार्यशील पूंजी प्रदान करना है। उदाहरण के लिए, स्टार्टअप इंडिया एक्शन प्लान उद्यमियों को कर प्रोत्साहन और छूट, कम ब्याज दरों के साथ ऋण, कौशल विकास कार्यक्रम, सार्वजनिक खरीद में प्राथमिकता आदि जैसे कई लाभ प्रदान करता है। भारत सरकार द्वारा बनायी गई कई योजनाओं में से शीर्ष दस योजनाएं निम्न प्रकार हैं:-

- **एस्पायर - नवाचार, ग्रामीण उद्योगों और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए योजना :** यह कार्यक्रम कृषि व्यवसाय क्षेत्र में अधूरी सामाजिक ज़रूरतों के लिए नवाचार को प्रोत्साहित करने और गति बढ़ाने के लक्ष्य के साथ पूरे भारत में प्रौद्योगिकी केंद्रों और इन्क्यूबेशन केंद्रों का एक नेटवर्क बनाने के लिए लाया गया था। यह उपकरण और मशीनरी (भूमि और अवसंरचना के अलावा) की लागत का 100%, जो भी छोटा हो, के एकमुश्त अनुदान के माध्यम से आजीविका व्यवसाय इनक्यूबेटरों और/या प्रौद्योगिकी व्यवसाय इन्क्यूबेटरों के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है। भारत में आबादी का एक बड़ा हिस्सा अभी भी ग्रामीण क्षेत्रों में रहता है और अभी भी जीविका के साधन के रूप में कृषि पर बहुत अधिक निर्भर है। परिणामस्वरूप, उद्यमों को विकसित करने और कृषि उद्योग में नौकरियों को जोड़ने के लक्ष्य के साथ यह पहल शुरू की गई थी। यह उद्यमियों को अपना व्यवसाय शुरू करने, लोगों को काम पर रखने और उनकी स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक जानकारी प्रदान करता है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य ज़िला-स्तरीय आर्थिक विकास को जमीनी स्तर से सहयोग देना है।

➤ **प्रधानमंत्री मुद्रा योजना :** माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी लिमिटेड (मुद्रा) नामक यह गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थान, इस योजना के माध्यम से भारत में सूक्ष्म उद्यम बाज़ार के विस्तार में सहयोग करता है। मुद्रा सूक्ष्म इकाइयों को 10 लाख रु तक की ऋण आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु बैंकों और/या माइक्रोफाइनेंस संगठनों को पुनर्वित्त सहायता प्रदान करता है। विकास के चरण, वित्त की मांग, कंपनी की अवधि और इन उद्यमों द्वारा प्राप्त ऋण की राशि के आधार पर ऋणों को तरुण, किशोर और शिशु की श्रेणियों में विभाजित किया गया है।

➤ इन संपत्तियों को संपार्श्विक सुरक्षा की आवश्यकता नहीं होती है और छोटे व्यवसाय, जो न तो कॉर्पोरेशन हैं और न ही फर्म, 10 लाख रुपये तक के ऋण के लिए आवेदन करने के लिए योग्य हैं। यह ऋण विभिन्न प्रकार की नौकरियों और आय-उत्पादक गतिविधियों के लिए उपलब्ध कराया जाता है। प्रायः सेवा प्रदाताओं, स्टोर मालिकों और स्ट्रीट वेंडरों के पास इसकी पहुँच होती है। अतिरिक्त ऋण, कार्यशील पूंजी, यात्राओं के लिए उपयोग किए जाने वाले ऑटोमोबाइल और के लिए उपलब्ध हैं। इसलिए यह भारतीय व्यापार उद्यमियों की सहायता के लिए बनाया गया एक अनूठा कार्यक्रम है।

➤ **इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी में अंतर्राष्ट्रीय पेटेंट संरक्षण के लिए समर्थन (एसआईपी-ईआईटी) :** कार्यक्रम इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग (DeiTY) द्वारा भारतीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम आकार के व्यवसाय (एमएसएमई) और प्रौद्योगिकी स्टार्टअप को विदेशी पेटेंट आवेदन दाखिल करने के लिए सरकारी सहायता प्रदान करने के लक्ष्य के साथ शुरू किया गया। परिणामस्वरूप, इससे नवाचार को बढ़ावा मिलता है, ब्रांड की पहचान भी बढ़ती है और वैश्विक बौद्धिक संपदा संरक्षण के महत्व और क्षमता की समझ बढ़ती है। इलेक्ट्रॉनिक्स, संचार और प्रौद्योगिकी क्षेत्रों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। योग्य संस्थाएं अंतरराष्ट्रीय पेटेंट प्रस्तुत करने की प्रक्रिया के किसी भी चरण में आवेदन जमा कर सकती हैं। प्रत्येक नवप्रवर्तन के लिए अधिकतम राशि 15 लाख रुपये या आवेदन दाखिल करने और पेटेंट से जुड़ी पूरी लागत का 50% जो भी कम हो, की प्रतिपूर्ति की जा सकती है।

➤ **गुणक अनुदान योजना (एमजीएस) :** इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग ने कंपनियों को उत्पाद और पैकेज तैयार करने के लिए प्रमुख सरकारी और शैक्षणिक अनुसंधान एवं विकास समूहों के साथ सहयोग करने के लिए, कंपनियों को प्रोत्साहित करने के लक्ष्य के साथ, एक बार फिर इस पहल को विकसित किया। परिणामस्वरूप,

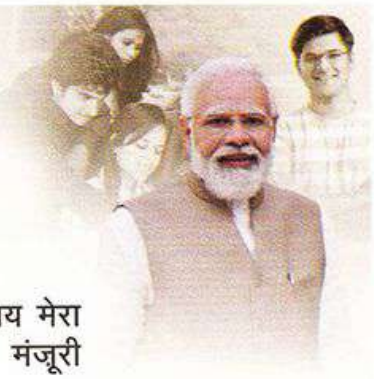

Cabinet Decisions: 11 October 2023

मेरा युवा भारत

कैबिनेट ने एक स्वतंत्र निकाय मेरा युवा भारत की स्थापना को मंजूरी दी (MY Bharat)

- यह युवाओं के विकास के लिए प्रौद्योगिकी द्वारा संचालित व्यापक सूक्ष्म तंत्र के रूप में कार्य करेगा।
- इसका उद्देश्य युवाओं को सरकार और नागरिकों के बीच युवा सेतु के रूप में कार्य करने में सक्षम बनाकर राष्ट्र निर्माण के लिए अपार युवा ऊर्जा का उपयोग करना है।

वैश्वीकरण की अवधारणा के संकल्पना साक्ष्य के बीच का अंतर खत्म हो जाएगा, व्यवसायों और शैक्षणिक संस्थानों के संबंधों में सुधार होगा और घरेलू उत्पाद निर्माण में तेज़ी आएगी।

इस रणनीति के अनुसार, सरकार उन वस्तुओं के अनुसंधान एवं विकास के लिए उद्योग निवेश से मेल करेगी जिन्हें अधिकतम दोगुने मूल्य तक बेचा जा सकता है। एक उद्योग को एक परियोजना के लिए अधिकतम 2 करोड़ रुपये दिए जा सकते हैं, जिसकी वांछित परियोजना अवधि 2 वर्ष से कम है। उद्योगों के एक समूह को तीन वर्ष की अवधि के दौरान 4 करोड़ रुपये तक दिए जा सकते हैं।

➤ **सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट (सीजीटीएमएसई) :** सूक्ष्म और लघु उद्यमों (एमएसई) के लिए क्रेडिट गारंटी फंड योजना लागू करने के लिए, एमएसएमई मंत्रालय, भारत सरकार और भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) ने सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट (सीजीटीएमएसई) की स्थापना की। यह कार्यक्रम एमएसई क्षेत्र में कर्ज़ की आवक को सुविधाजनक बनाते हुए ऋण वितरण प्रणाली को मज़बूत करता है। यह स्टार्टअप, छोटे व्यवसायों और सूक्ष्मफर्मों को काफी रियायती दरों पर और रेहन की आवश्यकता के बिना ऋण प्रदान करता है। यह कार्यक्रम प्रत्येक पात्र ऋण लेने वालों के लिए 200 लाख रुपये तक निधि और गैर-निधि-आधारित क्रेडिट सुविधाएं प्रदान करता है। ऋण प्राप्त करने के लिए कार्यशील पूंजी या सावधि ऋण का उपयोग किया जा सकता है। यह कार्यक्रम अधिकतर विनिर्माण या सेवा-आधारित व्यवसायों के लिए है।

(पृष्ठ 28 पर जारी)

(पृष्ठ 25 से जारी)

स्टार्टअप : उद्यमिता कौशल निखारने का उत्कृष्ट अवसर

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अक्सर ग्रामीण युवाओं को रोज़गार पाने के लिए संघर्ष करने के बजाय 'नियोक्ता' बनने पर ज़ोर देते हैं। इस दृष्टिकोण से 'स्टार्टअप' ग्रामीण भारत में युवाओं को अपने उद्यमिता कौशल को निखारने का एक उत्कृष्ट अवसर प्रदान करते हैं। ये सीखने के अवसर अनेक हैं:

ग्रामीण व्यापार मालिकों और कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण और कौशल विकास पहल को अक्सर स्टार्टअप द्वारा वित्तपोषित किया जाता है। स्टार्टअप स्थानीय आबादी के कौशल में सुधार करके ग्रामीण स्थानों में अधिक कुशल और सक्षम कार्यबल बनाने में मदद करते हैं।

प्रौद्योगिकी को अपनाना: स्टार्टअप तकनीक-संचालित समाधान प्रदान करते हैं जो ग्रामीण व्यापार मालिकों को उत्पादन और दक्षता बढ़ाने में मदद करते हैं। यह चिकित्सा उपकरण, वित्तीय सेवाओं और कृषि उपकरण जैसी चीज़ों पर लागू हो सकता है। ये प्रौद्योगिकियां ग्रामीण व्यापार मालिकों को बड़े पैमाने पर प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम बनाती हैं।

बिजनेस इनक्यूबेशन और समर्थन: ग्रामीण क्षेत्रों में, इनक्यूबेटर और एक्सेलेरेटर, जो अक्सर युवा या मौजूदा व्यवसायों द्वारा चलाए जाते हैं, इच्छुक व्यवसाय मालिकों को मार्गदर्शन, उपकरण और बुनियादी ढांचा प्रदान करते हैं। इन सहायता संरचनाओं के माध्यम से स्थानीय प्रतिभा और विचारों को बढ़ावा दिया जाता है।

नवाचार और समस्या-समाधान: स्टार्टअप अक्सर अधिक कल्पनाशील और सक्रिय होते हैं, जो उन्हें ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष कठिनाइयों को पहचानने और उनका समाधान करने में सक्षम बनाते हैं। वे बिल्कुल नए उत्पाद और व्यावसायिक रणनीतियाँ बनाते हैं जो ग्रामीण समुदायों की विशेष आवश्यकताओं और स्थितियों के अनुरूप होती हैं।

नेटवर्किंग और सहयोग: ग्रामीण क्षेत्रों में, स्टार्टअप अक्सर व्यापार मालिकों के बीच सहयोग और समुदाय की भावना को बढ़ावा देते हैं। इस नेटवर्किंग के परिणामस्वरूप सूचना, संसाधनों और सहकारी अवसरों का आदान-प्रदान हो सकता है।

➤ **एकल बिंदु पंजीकरण योजना (एसपीआरएस) :** एक विकास कार्यक्रम है जो सूक्ष्म एवं लघु उद्योग को सहयोग करता है। राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम (एनएसआईसी) एसपीआरएस की देखरेख करता है। बिना किसी संदेह के, भारत सरकार विभिन्न प्रकार की वस्तुओं की सबसे बड़ी खरीददार है। यह योजना लघु-स्तरीय क्षेत्र में की गई खरीदारी की संख्या को बढ़ावा देने के लिए बनाई गई थी। सरकार का निर्देश है कि केंद्रीय मंत्रालय, विभाग और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम अपनी वार्षिक खरीद का कम से कम 25 प्रतिशत सूक्ष्म एवं लघु उद्यनों से ही करेंगे। साथ ही वस्तुओं की 358 श्रेणियां विशेष रूप से एमएसई से खरीदे जाने के लिए आरक्षित की गई हैं।

➤ **एक्स्ट्रा म्यूरल रिसर्च या कोर रिसर्च ग्रांट (सीआरजी):** सीआरजी, जिसे पहले एक्स्ट्रा म्यूरल रिसर्च फाइनेंसिंग सिस्टम के रूप में जाना जाता था, 40 वर्ष से भी पहले शुरू किया गया था, लेकिन अभी भी महत्वपूर्ण और व्यावहारिक कार्यक्रमों में से एक है। इसके बाद विज्ञान और इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड (एसईआरबी)की स्थापना की गई।

सीआरजी का लक्ष्य विज्ञान और इंजीनियरिंग के सभी अत्याधुनिक क्षेत्रों में अनुसंधान करने में शैक्षणिक संस्थानों, अनुसंधान प्रयोगशालाओं और अन्य अनुसंधान एवं विकास संगठनों की सहायता करना है। परिणामस्वरूप, यह स्थापित और उभरते दोनों शोधकर्ताओं को प्रतिस्पर्धी, व्यक्तिगत-केंद्रित फंडिंग मॉडल का उपयोग करने के लिए प्रेरित करता है।

➤ **उच्च जोखिम और उच्च पुरस्कार अनुसंधान:** इस कार्यक्रम का उद्देश्य नई अवधारणाओं और पहलों को प्रोत्साहित करना और सहयोग देना है जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी के कई क्षेत्रों को प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं। यह चुनौतीपूर्ण सुझावों पर केंद्रित है जो यदि सफल होते हैं तो विज्ञान के लिए व्यापक रूप से लाभकारी हो सकते हैं। ऐसे सिद्धांत और प्रयोग जो उन्नत हैं, परिकल्पनाएं जो विवादित हैं, वैज्ञानिक खोजें, प्रमुख समस्याओं के लीक से हटकर समाधान और नई परिकल्पनाओं का निर्माण जिसके परिणामस्वरूप नई प्रौद्योगिकियों का विकास होता है, ऐसे सुझावों के कुछ उदाहरण हैं।

अनुसंधान अनुदान में ऊपरी प्रभार के अलावा उपभोग्य सामग्रियों, अप्रत्याशित व्यय, उपकरण और यात्रा व्यय को शामिल किया जाना चाहिए; इन परियोजनाओं के लिए कोई निर्धारित बजट सीमा नहीं है। यह राशि 3 वर्ष के लिए प्रदान की जाती है लेकिन असाधारण परिस्थितियों में इसे 5 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है।

➤ **डिज़ाइन क्लीनिक योजना :** भारत सरकार ने घोषणा की कि प्रत्येक एमएसएमई और स्टार्टअप को किसी भी ब्रांड के विकास में नवाचार और डिज़ाइन के महत्व को समझने के बाद अपने स्टार्टअप को शुरू करने के लिए एक डिज़ाइन-केंद्रित दृष्टिकोण विकसित करना चाहिए। एमएसएमई मंत्रालय ने छोटी कंपनियों को अपने उत्पादों के लिए नए और आविष्कारी डिज़ाइनों के साथ प्रयोग करने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए निरंतर प्रशिक्षण और कौशल विकास के माध्यम से एक स्थायी डिज़ाइन इको सिस्टम बनाने के लिए डिज़ाइन क्लीनिक योजना शुरू की।

इस कार्यक्रम के तहत डिज़ाइन सेमिनार में भाग लेने के लिए सरकार 60,000 रुपये तक तथा 3.75 लाख रुपये या सेमिनार के खर्च का 75% तक भुगतान करेगी; यदि सेमिनार किसी स्टार्टअप या एमएसएमई द्वारा आयोजित किया जाता है। यह अनुमान लगाया गया है कि इस कार्यक्रम के माध्यम से, उद्यमियों और प्रणेताओं को नवीनतम डिज़ाइन, सर्वोत्तम कार्यों और रुझानों के बारे में जानने, अन्य नवप्रवर्तकों और डिज़ाइनरों के साथ नेटवर्क बनाने, डिज़ाइन सिद्धांतों का ज्ञान प्राप्त करने और अपने उत्पादों के डिज़ाइनों के उपयोग की स्थानीय प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ावा देने का मौका मिलेगा।

➤ **ज़ीरो डिफेक्ट ज़ीरो इफेक्ट (ज़ेड) योजना :** इसका उद्देश्य निर्माताओं को ऐसे बेहतर सामान बनाने के लिए प्रेरित करना है जो उच्च गुणवत्ता वाले, दोषमुक्त और विश्वसनीय हों। यह सहारा देने वाला (हैंडहोल्डिंग) कार्यक्रम है जो एमएसएमई को अत्याधुनिक उत्पादन तकनीकों को अपनाने, अत्याधुनिक तकनीक का उपयोग करने और अपने सामान को लगातार बेहतर बनाने का मौका प्रदान करता है।

यह सुनिश्चित करने के लिए कि उनके उत्पादों में कोई खामी नहीं है, कार्यक्रम स्टार्टअप और एमएसएमई को संसाधन, प्रौद्योगिकी और वित्तीय सहायता प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त, ज़ेड एक व्यापक प्रमाणन प्रदान करता है जो ज़ेड के लिए व्यवसायों का मूल्यांकन करता है और कंपनियों को कार्यक्रम के परिपक्वता मूल्यांकन मॉडल के साथ आगे बढ़ने में सहायता करता है।

इन और कई अन्य योजनाओं के साथ, भारत सरकार के प्रमुख कार्यक्रम 'स्टार्टअप इंडिया' का लक्ष्य स्टार्टअप और व्यापार मालिकों को सक्रिय रूप से प्रोत्साहित करना है। कार्यक्रम का मुख्य लक्ष्य भारत में स्टार्टअप संस्कृति को बढ़ावा देने के साथ-साथ एक मज़बूत समावेशी पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करना है जो नवाचार और उद्यमियों का सहयोग करता है और उन्हें बढ़ावा देता है। अंततः बड़ी संख्या में नौकरी के अवसर पैदा करता है और देश की सतत आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा देता है।

'आत्मनिर्भर भारत' मिशन और 'मेक इन इंडिया' कार्यक्रम को बाद में भारत सरकार द्वारा अंतरराष्ट्रीय विनिर्माण और डिज़ाइन निर्यात के केंद्र के रूप में स्थापित करने के लक्ष्य के साथ प्रस्तुत किया गया था। सूक्ष्म उद्यमिता को प्रोत्साहित करने के प्रयासों को आगे बढ़ाने के लिए सरकार ने इस प्रक्रिया को सफलतापूर्वक तेज़ कर दिया है। ❑